1/2 1460) 2018/64

नारत रिकार विवास

रिजस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

प्रभा**ी** ख़ब्दम् बिटाः

Michaelte of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY PO-260 Papt - 10 CDB. 250

किया

सं. 225] No. 225] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 14, 2004/वैशाख 24, 1926 NEW DELHL FRIDAY, MAY 14, 2004/VAISAKHA 24, 1926

192___

राव विवध्कक

पोत परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मई, 2004

सा.का.नि. 331(अ).— केंन्द्र सरकार महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उप धारा (1) के खंड (4) के उप खंड (i) के अनुसरण में और भारत सरकार, पोत- परिवहन- मंत्रालय (पत्तन पक्ष) की दिनांक 29 मई 2002 की अधिसूचना सा0 का0 नि0 सं0 389 (34) का अधिक्मण करते हुए, एतद्द्वारा निम्न तालिका के कॉलम (3) में उल्लिखित व्यक्तियों की संख्या विनिर्दिष्ट करती है जिन्हें कांडला पत्तन के न्यासी बोर्ड में उक्त तालिका के कालम (2) में उल्लिखित हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया जाना है:-

तालिका

क्रम संख्या	प्रतिनिधित्व किए जाने वाले हित			नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या
(1)	(2)			(3)
1.	समुद्री वाणिज्य विभाग			1
2.	गुजरात राज्य सरकार	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1
3.	सीमा शुल्क विभाग			. 1
4.	पोत परिवहन मंत्रालय	<u> </u>		1
5.	तट रक्षक			1
6.	रक्षा सेवायें		•	1
7.	रेल मंत्रालय			1

[फा. सं. पीटी-18011/13/2003-पीटी]

सुशील कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING (PORTS WING) NOTIFICATION

New Delhi, the 14th May, 2004

G.S.R. 331(E).— In pursuance of sub-clause (i) of clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) and in supersession of the Notification of the Government of India in the Ministry of Shipping (Ports Wing) G.S.R. No. 389 (E) dated 29th May, 2002, the Central Government hereby specifies the number of persons mentioned in column (3) of the Table below to be appointed to represent the interests mentioned in column (2) of the said Table on the Board of Trustees of the Port of Kandla.

TABLE

SI.No.	Interests to be represented	Number of persons to be appointed
(1)	(2)	(3)
1.	Mercantile Marine Department	1
2.	State Government of Gujarat	1
3.	Deparment of Customs	1
4.	Ministry of Shipping	1
5.	Coast Guard	1
6.	Defence Services	1
7.	Ministry of Railways	1

TOTAL: 7

[F. No. PT-18011/13/2003-PT] SUSHEEL KUMAR, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मई, 2004

सा.का.नि. 332(अ).— केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उप धारा (6) के साथ पठित उप धारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों हा प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा निम्नलिखित तालिका के क्रम सं0 1-2 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों को कांडला पत्तन के न्यासी बोर्ड में न्यासी बनाये जाने के लिए नियुक्त करती है तथा उन्हें उसी बोर्ड में अधिसूचित करती है, अर्थात्ः

तालिका

	1.	प्रधान अधिकारी, एम एम डी, मुम्बई	समुद्री वाण्ज्य विभाग, मुम्बई का
-	2.	निदेशक (पी एच आर डी)	प्रतिनिधित्व करने के लिए
		'	पोत-परिवहन-मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए
			अलागाधारप करन का लिए

[फा. सं. पीटी-18011/13/2003-पीटी] सुशील कुमार, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th May, 2004

G.S.R. 332(E).— In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) read with sub-section (6) of Section 3 of the Major Port Trust Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints the persons mentioned against Serial Numbers 1 - 2 in the Table below to be trustees on the Board of Trustees for the Port of Kandla and notifies the same on the same Board, namely:-

TABLE

		Representing Mercantile Marine Department Mumbai.
2.	Director (PHRD)	Representing Ministry of Shipping.

[F. No. PT-18011/13/2003-PT] SUSHEEL KUMAR, Jt. Secy.